परिशिष्ट

प्रातिमोक्ष - भिक्षु विनय के दो-सौ सत्ताईस नियमों का संग्रह।

प्रातिमोक्ष उद्देश - भिक्षु विनय के नियमों की व्याख्या।

प्रवारणा - वर्षावास के बाद किया जाने वाला एक संघकर्म।

तर्जनीय कर्म- कलहकारक्या मूर्ख भिक्षु कोसंघद्वारा दिया गया दण्ड। या तो उसे संघ से निष्कासितकरनेकीधमकीदी जाती है या उसे निंदित कियाजाता है।

नियस्य कर्म- गलत आचरण करनेवाले भिक्षु कोसंघ द्वारा सलाह दी जाती है कि वह किसी आचार्य के संरक्षण में रहकर विनय नियमों का पालन करे।

प्रव्राजनीय कर्म- संघ द्वारा यह दण्ड वैसे भिक्षु कोदिया जाता है जो गृहस्थों की हानि करते हैं, उनमें फूट डालते हैं या उन्हे बुरा-भला कहते हैं।

उत्क्षेपणीय कर्म- वैसे भिक्षुओं के विरुद्ध यह कर्म कियाजाता है जो अपनी गलती न तो स्वीकार करते हैं और न उसका सुधार करते हैं।

परिवास - परीक्ष्यमाण अवधि कोकहतेहैं। संघादिशेष के दोषी भिक्षु कोकुछ दिनों के लिए परिवास दिया जाता है। वह अलग-थलग रहता है और सभी भिक्षुओं की दृष्टि उस भिक्षु पर यह जानने के लिए रहती है कि वह सदाचरण काजीवन जीता है या नहीं। यह एक प्रकार से प्रायश्चित्त करने की अवधि है।

मूल प्रतिकर्षण - अगर परिवास या मानत्त के दौरान कोई भिक्षु दूसरा संघादिशेष अपराध करताहै तो उसे नये सिरे से परिवास लेना होता है और परिवास में बिताया गया समय गिना नहीं जाता। इसे मूलप्रतिकर्षण कहते हैं।

मानत्त - अगर कोईभिक्षु संघादिशेष अपराध करकेतुरंत किसीदूसरे भिक्षु को सूचित कर देता है तो उसे सिर्फ छह रातों तक प्रायश्चित करनी पड़ती है। इसे "मानत्त" कहते हैं।

अब्भान - छह रातों तक प्रायश्चित्त करनेके बाद भिक्षु शुद्ध हो जाता है और वह संघ में वापिस लिए जाने योग्य हो जाता है। इसे "अब्भान" कहते हैं।

ओसारणीय कर्म- वैसे भिक्षु कोजो प्रव्राजनीय, तर्जनीय, नियस्य, उत्क्षेपणीय कर्मोंके कारण परिवास कादण्ड भुगत कर पश्चात्ताप कीअवधि पूरा कर संघ में वापस आने योग्य हो गया है उसे संघ में वापस बुला लेना ओसारणीय कर्म है।

निस्सारणीय कर्म- अपराधी भिक्षु कोसंघ से बाहर निकालनेको निस्सारणीय कर्म कहते हैं।

उपसम्पदा - उच्चतर प्रव्रज्या को उपसम्पदा कहते हैं जिसमें सामणेर या सिक्खमाना को पूरी तरह भिक्षु या भिक्षुणी बनाया जाता है।

ज्ञप्ति कर्म- संघ का वह कर्म जिसमें सिर्फ ज्ञप्ति की (औपचारिक प्रस्ताव की) जरूरत होती है "कम्मवाचा" की नहीं।"कम्मवाचा" का अर्थ है भिक्षुसंघ की राय अर्थात भिक्षुसंघ का मत कि वे इसका अनुमोदन करते हैं या नहीं।

ज्ञप्ति द्वितीय कर्म- जब प्रस्ताव एक बार लाया जाता है तो इसे ज्ञप्ति द्वितीय कर्म कहते हैं।

ज्ञप्ति चतुर्थ कर्म- जब प्रस्ताव तीन बार लाया जाता है तो इसे ज्ञप्ति चतुर्थ कर्म कहते हैं।

प्रज्ञप्ति - विनय संबंधी नियम को कहते हैं।

अप्रज्ञापित - जिसके बारे में नियम नहीं बना है।

प्रज्ञापित - जिसके बारे में नियम बना है।

अनुप्रज्ञप्ति - मूल नियम में जो जोड़ा या हटाया जाय और इस तरह नियम में परिवर्तन किया जाय।

सन्मुख विनय - झगड़ा को शांत करने या मुकदमा का फैसला करने की प्रक्रिया। इसके लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिएं– १. संघ के सम्मुख फैसला हो, २. फैसला करने के लिए कोई मुकदमा हो, ३. विनय के नियमों के अनुसार फैसला हो, ४. दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य हो।

स्मृति विनय - यह अर्हत से संबंधित है। जब कोई भिक्षु किसी अर्हत पर दोषारोपण करता है तो अर्हत संघ से अपील करता है कि वह उसे इस दोष से मुक्त करे चूंकि वह ऐसा दोष कर ही नहीं सकता है। संघ ऐसा करता है। इसे स्मृति विनय कहते हैं।

अमूढ़ विनय - अगर कोई पागल भिक्षु कोई अपराध करता है तो संघ इस बात को जान कर कि वह पागल है उसके अपराध की अनदेखी करता है।

प्रतिज्ञात-करण - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपराधी भिक्षु की बात सुनकर संघ इस बात पर सहमत होता है कि अपराधी भिक्षु सिर्फ सच ही कह रहा है। तब उसको कोई और दण्ड अपराधानुसार दिया जाता है।

येभूयिसका - बहुमत से किसी झगड़े का फैसला करना। इसमें वैसे भिक्षु ही भाग लेते हैं जिनको संघ योग्य समझता है।

तस्सपापियसिका - जब कोई भिक्षु यह कहे जाने पर कि उसने पाराजिक अपराध किया है, स्वीकार करने में टाल-मटोल करता है तो संघ उसे औपचारिक रूप में पापी भिक्षु घोषित करता है।

तृणविस्तारक - आगे कड़ुवाहट न बढ़े इसलिए भिक्षुओं के दो दलों के बीच झगड़े का फैसला आरोप-प्रत्यारोप को ढँक कर आपसी सहमति से किया जाता है। इसे तृणविस्तारक कहते हैं।